महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

ई–समाचार पत्र

पहल

मासिक – वयालीसवां संस्करण (माह सितंबर, 2018)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत राजमिस्त्री प्रशिक्षण में पूरे देश में मध्यप्रदेश को मिला प्रथम पुरूस्कार
3. विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश
4. बच्चों का विकास – खेल मैदान
5. जनभागीदारी से करारोपण का अनूठा उदाहरण ग्राम पंचायत गुनौर
6. असंगठित मजदूर कल्याण योजना
7. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण और रोजगार
8. पंचायतराज संस्थाओं – स्वसहायता समूहों का अभिसरण (कनवरजेंस)

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्री इकबाल सिंह बैंस (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–**mgsirdpahal@gmail.com**
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870
Designed & Developed by J.K. Shrivastava and Ashish Dubey, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का वयालीसवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2018 का नौवां मासिक संस्करण है।

इस संस्करण संस्थान में **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत राजमिस्त्री प्रशिक्षण में मध्यप्रदेश राज्य, देश में प्रथम स्थान पर है।** जिसके लिये भारत सरकार, द्वारा दिनांक 11 सितम्बर 2018 को पुरष्कृत किया गया है। इस प्रशिक्षण की नोडल एजेंसी महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान जबलपुर का विशेष योगदान रहा है जिसको समाचार आलेख के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

साथ ही **''बच्चों का विकास – खेल मैदान''**, **''जनभागीदारी से करारोपण का अनूठा उदाहरण ग्राम पंचायत गुनौर''**, **''असंगठित मजदूर कल्याण योजना''**, **''प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण और रोजगार''** एवं **'पंचायतराज संस्थाओं – स्वसहायता समूहों का अभिसरण (कनवरजेंस)''** विभिन्न विषयों पर भी आलेखों को इस संस्करण में शामिल किया गया है।

इसके अलावा अपर मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त महोदय द्वारा वीडियो कांफ्रेन्स दिनांक 02 अगस्त, 2018 एवं 13 अगस्त 2018 में दिये गये निर्देशों को प्रस्तुत किये गये है।

मुझे पूरा भरोसा है कि 'पहल' का यह संस्करण रूचिकर एवं कई विषयों पर आपको नवीन जानकारियां प्रदान करेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत राजमिस्त्री प्रशिक्षण में पूरे देश में मध्यप्रदेश को मिला प्रथम पुरूस्कार

''सबके लिए आवास'' वर्ष 2022 तक भारत के सभी आवासहीन एवं वंचित वर्ग के ग्रामीण परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना 20 नवम्बर 2016 को आरंभ की गई।

शासन की मंशा केवल आवास निर्माण नहीं अपितु गुणवत्तायुक्त आवास निर्माण पर केन्द्रित होने के कारण आवास निर्माण हेतु कुशल राजमिस्त्रियों की उपलब्धता भी एक आवश्यक घटक था।

वर्ष 2018–19 तक तीन वर्षो में म.प्र. में 11 लाख 78 हजार आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था एवं इस हेतु 45000 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

उक्त घटक के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए भारत शासन द्वारा राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका लक्ष्य ग्रामीण आवास निर्माण हेतु कुशल राजमिस्त्री उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी क्षमताओं की वृद्धि कर उनके आजीविका साधन की वृद्धि एवं जीवन स्तर को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं

पंचायतराज संस्थान जबलपुर को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया एवं इस हेतु ''राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद'' (CSDCI) नई दिल्ली द्वारा राजमिस्त्रियों का L-4 लेवल का प्रमाणीकरण किया गया। सर्वप्रथम लीड ट्रेनर्स की ट्रेनिंग CSDCI नई दिल्ली के विशेषज्ञों के द्वारा कराई गयी। सफल 8 लीड ट्रेनर्स द्वारा महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान जबलपुर एवं सभी 6 क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रत्येक जनपद से 7–7 डिमांस्ट्रेटर्स को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इनका प्रमाणीकरण भी CSDCI नई दिल्ली द्वारा किया गया।

प्रदेश की समस्त 313 जनपद पंचायतों में मेसन का 45 दिवसीय प्रशिक्षण डिमांस्ट्रेटर के द्वारा कराया जा रहा है। तीन चरणों में 29654 मेसन को प्रशिक्षण उपरांत 11081 मेसन का प्रमाणीकरण कर प्रमाण–पत्र प्रदान किये जा चुके है। चतुर्थ चरण का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाना है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में 5.20 करोड़ राशि व्यय की गयी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत मेसन प्रशिक्षण में मध्यप्रदेश राज्य, देश में प्रथम स्थान पर है। जिसके लिये भारत सरकार, द्वारा दिनांक 11 सितम्बर 2018 को पुरष्कृत किया गया है। इस प्रशिक्षण की नोडल एजेंसी महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान जबलपुर का विशेष योगदान रहा है।

त्रिलोचन सिंह
संकाय सदस्य

विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 02.08.2018 को आयोजित वीडियों कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश

1. स्वच्छ भारत मिशन–

1.1 सचिव, भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मत्रालय को अपर मुख्य सचिव द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की वर्तमान प्रगति एवं अक्टूबर 2018 तक प्रदेश को ओडीएफ करने हेतु की जा रही गतिविधियों को विस्तार से अवगत कराया गया।

1.2 सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय नेः–

1.2.1 सभी जिलों में द्वारा 02 अक्टूबर तक अपने जिले को ओडीएफ करने के प्रयास की सराहना की तथा विश्वास व्यक्त किया कि यह चुनौती भरा लक्ष्य प्रदेश अवश्य प्राप्त करेगा।

1.2.2 सभी जिलों को स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण में बढ़–चढ़ कर भाग लेने हेतु कहा गया जिससे प्रदेश के जिलों को राष्ट्रीय स्तर पर उसी तरह उत्कृष्ट स्थान प्राप्त हो जैसा स्वच्छता सर्वेक्षण शहरी में मिला।

1.3 इसके उपरांत सर्वप्रथम 10 जनपद पंचायतों–कराहल, मानपुर, बाजना, लखनादौन, देवसर, श्योपुर, सेंधवा, चितरंगी, दमोह एवं पुष्पराजगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं विकास खण्ड अधिकारियों के साथ चर्चा की गइ जिन्होंने इस वर्ष सर्वाधिक शौचालयों का निर्माण कराया है।

1.4 जनपद पंचायत मानपुर, देवसर, श्योपुर, चितरंगी, दमोह एवं पुष्पराजगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अपने विकास खण्ड को 02 अक्टूबर के पूर्व ओडीएफ करें। सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने अपना लक्ष्य समय पर पूरा करने का लक्ष्य समय पर पूरा करने का आश्वासन दिया गया।

1.5 सिंगरौली, सतना, सिवनी, दमोह, अनूपपुर एवं टीकमगढ़ जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से प्रगति की समीक्षा की गई। सिंगरौली को 15, अनूपपुर को 20 प्रेरक तथा दमोह विकास खण्ड के लिए एक अतिरिक्त विकास खण्ड अधिकारी उपलब्ध कराया जाए। अनूपपुर के लिए डिमांड डिलीट करने की ऑनलाइन सुविधा पुनः कुछ दिनों के लिए दी जाए।

1.6 टीकमगढ़ जिले के न्यूनतम प्रगति वाले विकास खण्ड जतारा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से शेष बचे 7000 शौचालय के निर्माण हेतु किए जाने वाले प्रयास पर निर्भर होगा।

1.7 पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से आये प्रतिनिधि ने जिले को स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर स्थान दिलाने हेतु विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से अवगत कराया गया।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

2.1 प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत 10 सर्वश्रेष्ठ जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई दी गई।

2.2 वर्ष 2018–19 की तृतीय किश्त जारी करने में जो जिले 50 प्रतिशत से कम है व तत्काल इसे 50 प्रतिशत करें तथा जो जिले 40 से 50 प्रतिशत कर चुके हैं वे जिले इसे अनिवार्यतः 75 प्रतिशत करें। अनूपपुर, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, श्योपुर, सागर, दतिया, बुरहानपुर, एवं होशंगाबाद जिले विशेष रूप से पूर्णता पर ध्यान दें।

2.3 वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के ऐसे आवास जिन्हें प्रामि किश्त मिले हुए एक वर्ष व्यतीत हो गया है तथा लॉक्ड आवास की श्रेणी में चले गए हैं उन्हें अनलॉक करने के लिए विभागीय पत्र क्रं. 8672 दिनांक 25.07.2018 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

2.4 प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में नाम जोड़ने हेतु सभी जिले आवास एप पर निर्देश अनुसार हितग्राहियों का डाटा अपलोड करें।

2.5 तराना (उज्जैन), सौंसर (छिंदवाड़ा) एवं बड़वाह (खरगौन) जनपदों ने उत्कृष्ट कार्य करते हुए वर्ष 2018–19 के लिए जारी पुरूस्कार 01.08.2018 की स्थिति में ही प्राप्त किए। इन्हें प्रशंसा पत्र के साथ–साथ पुरूस्कार राशि जारी की जाती है।

3. पंचायतराज–

3.1 मुख्यमंत्री ग्रामीण हाट बाजार योजनांतर्गत स्वीकृत ग्राम पंचायत स्तरीय कुल 671 कार्यो में से अद्यतन स्थिति में 152 कार्य पूर्ण एवं 519 प्रगतिरत् हैं। समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को योजनांतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यो की समीक्षा कर तत्काल कार्यो को पूर्ण कराने हेतु दिनांक 19.07.2018 की वीडियों कान्फ्रेंस में दिए निर्देशानुसार राशि का मांग पत्र भेजने के निर्देश दिए गए।

3.2 पंचायतराज द्वारा स्वीकृत कुल 23 मोक्षधाम/शांतिधाम निर्माण कार्यो में से 13 कार्य अप्रारम्भ, जिसमें से ग्राम पंचायत हथनोर में पूर्व से शांतिधाम निर्मित होने तााि अप्रारम्भ कार्यो को यथोचित निर्णय लेकर निरस्त करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए । हाट बाजार एवं मोक्षधाम निर्माण की समीक्षा आगामी 15 दिवस पश्चात् की जायेगी।

3.3 संबल योजनांतर्गत ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा अंत्येष्टि सहायता हेतु वर्तमान में केवल 4808 ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ही अग्रिम राशि आहरित की गई है। आगामी 03 दिवस में समस्त ग्राम पंचायतों के सचिवों द्वारा अग्रिम राशि आहरित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

3.4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत विदिशा द्वारा अवगत कराया कि उनके यहां संबल योजनांतर्गत 312 ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा अग्रिम राशि का आहरण किया गया है जबकि पोर्टल की जानकारी अनुसार मात्र 71 ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा अग्रिम राशि आहरण की जानकारी होने पर अंतर की स्थिति को चेक करने हेतु निर्देश दिए गए।

विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 13.08.2018 को आयोजित वीडियों कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश

1. विगत वीडियों कॉन्फ्रेंस दिनांक 02.08.2018 के कार्यवाही विवरण पर चर्चा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली एवं अनूपपुर ने अवगत कराया कि उनके जिले को स्वच्दताग्रही मिल गए हैं। इस दौरान अवगत कराया गया कि 12 जिलों को प्रधान मंत्री आवास योजना अंतर्गत पुरूस्कार की राशि भेजी जा चुकी है।

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, लटेरी श्री निर्देशक शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना अंतर्गत बैंक को पत्र भेजकर अन्त्येष्टि हेतु भुगतान की नगद राशि 17 ग्राम पंचायतों के सचिवों को उपलब्ध कराई गई। उपायुक्त, स्थापना को निर्देशित किया गया श्री शर्मा को एससीएन जारी करें एवं शासकीय राशि वापस बैंक में जमा कराई जाए। समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उनके जिले में इस प्रकार की पुर्नावृत्ति न हो।

3. स्वच्छ भारत मिशन–

3.1 माह अगस्त के शौचालय निर्माण लक्ष्य के लिए अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले 7 जिलों अशोकनगर, सिंगरौली, शहडोल, कटनी, उमरिया, सतना एवं भिण्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत से चर्चा की गयी। अधिकतर जिलों ने अवगत कराया की उनके जिले में वास्तविक शौचालय विहीन परिवारों की संख्या एमआईएस में दर्शित संख्या से कम है तथा वे अपना लक्ष्य समय सीमा में प्राप्त कर लेंगे।

अपर मुख्य सचिव द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गये–

1. बीएलएस 2012 में डाटा संशोधन करने की ऑनलाइन सुविधा दी गई है। अतः सभी सीईओ निर्धारित प्रक्रिया अनुसार यह कार्य साथ–साथ ही करावें।

2. राज्य कार्यक्रम अधिकारी आगामी व्हीसी में जिलों द्वारा बीएलएस 2012 में किये गये संशोधन के आकडों को भी सम्मिलित करें जिससे कि वास्तविक प्रगति का विवरण ज्ञात हो सके।

4. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

4.1 प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 की प्रगति अधिकांश जिलों की कम है। शेष अपूर्ण आवासों को यथाशीघ्र पूर्ण करें तथा जिन आवासों में आरआरसी जारी कर वसूली की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है उन्हें आवास सॉफ्ट पोर्टल से डिलिट करें। साथ ही ऐसे मकान जो किसी भी स्थिति में पूरे न को सके उनकी सूची संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना को निम्न तालिका में तत्काल भिजवायें:–

क्रमांक	जनपद का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	हितग्राही का नाम	पीएमएवाय जी आईडी	कुल जारी किश्तें	अपूर्ण रहने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8

4.2 वर्ष 2018–19 जिसका लक्ष्य दिसम्बर माह में प्रदत्त किया गया था, में 14 जिलों यथा सिंगरौली, सतना, श्योपुर, सीधी, अनूपपुर, मण्डला, रीवा, शिवपुरी, डिण्डौरी, छतरपुर, बड़वानी, उमरिया, जबलपुर,

तथा सिवनी की प्रगति 10 प्रतिशत से कम है। यह असंतोषजनक स्थिति है। जिला उज्जैन तथा मंदसौर अपने लक्ष्य का 50 प्रतिशत आवास पूर्ण करते हुये प्रदेश में अग्रणी हैं।

4.3 समस्त कार्यपालन यंत्री एवं सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी जनपद को आवास के लिए Centering Material की कमी न हों। सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत यह सुनिश्चित करेंगे कि आवास हेतु तृतीय किश्त जारी होते ही हितग्राही को Centering Material उपलबध कराया जाये। इसकी समीक्षा हितग्राहीवार किया जाना सुनिश्चित करें।

4.4 वर्ष 2018–19 में 45 दिवस से अधिक विलंब किश्त जारी करने में तथा तृतीय किश्त जारी होने के पश्चात् पूर्णता में, का विशलेषण जिले और जनपद हितग्राहीवार करें तथा आगामी व्हीसी के पूर्व यह संख्या कम करें। 45 दिवस से अधिक विलंब वाली पहली किश्त दूसरी किश्त तृतीय किश्त में परिवर्तित हो इसकी सतत् समीक्षा करें।

4.5 आवास प्लस एप में नियमानुसार जानकारी इन्द्राज करें।

4.6 दिनांक 13.08.2018 तक एवं वर्ष 2018–19 के उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरूस्कार की श्रेणी में जिला उज्जैन तथा 19 जनपदें सम्मिलित हुई। सभी को उत्कृष्ट कार्य करने की बधाई दी गयी।

5. महात्मा गांधी नरेगा–

5.1 माह जून तक की लेबर नियोजन की उपलब्धि की समीक्षा में 2018 के विरूद्ध जिला डिण्डौरी, सतना, ग्वालियर, सीधी एवं बुरहानपुर द्वारा दैनिक मजदूरी नियोजन बढ़ाया गया है जिसे निरन्तर रखा जाये। समस्त जिलों को निर्देशित किया गया कि लेबर बजट के लक्ष्य के अनुसार मजदूरी नियोजन बढ़ाया जाए।

5.2 जिन प्रगतिरत कार्यो पर मस्टररोल जारी नहीं हुए की समीक्षा में जिला अलीराजपुर, बालाघाट, बैतूल एवं छतरपुर की प्रगति निम्न पायी गयी। अधिकांश जिलों द्वारा बताया गया है कि जिन प्रगतिरत कार्यो पर मस्टररोल जारी नहीं किया गया है, वह कार्य पूर्ण हो चुके हैं अथवा प्रधानमंत्री आवास योजना के अप्रारंभ कार्य है। जिलों को निर्देशित किया गया की पूर्ण कार्यो की सीसी 15 दिवस में जारी करें ताकि वास्तविक प्रगतिरत कार्यो की ही समीक्षा की जाये।

5.3 सभी जिले वर्क प्लानिंग का गूगल शीट आगामी व्हीसी के पूर्व अद्यतन करें। वर्ष 2018–19 कार्य योजना के अनुसार पर्याप्त एएस/टीएस जारी किया जाए ताकि माह अक्टूबर में कार्य शुरू किया जा सके।

5.4 जिन प्रगतिरत कार्यो पर मस्टररोल जारी नहीं हुए की समीक्षा में जिला अलीराजपुर, बालाघाट, बैतूल एवं छतरपुर की प्रगति निम्न पायी गयी। अधिकांश जिलों द्वारा बताया गया है कि जिन प्रगतिरत कार्यो पर मस्टररोल जारी नहीं किया गया है, वह कार्य पूर्ण हो चुके हैं अथवा प्रधानमंत्री आवास योजना के अप्रारंभ कार्य है। जिलों को निर्देशित किया गया है कि जिले वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन करें और इसमें स्थानीय जन प्रतिनिधिगण एवं ग्रामीणजन की भागीदारी सुनिश्चित करें।

साथ ही इसका पर्याप्त प्रचार–प्रसार भी करें। वृक्षारोपण परियोजनाओं में पौधों का भुगतान मानक प्राक्कलन के अनुसार किया जाए।

5.5 विगत वर्ष के वृक्षारोपण को सत्यापन कर जारी दिशा–निर्देश दिनांक 10 मई 2018 के अनुसार कार्यवाही करें।

5.6 प्रधानमंत्री आवास योजना एवं नरेगा साफ्ट में अंतर की समीक्षा में जिला गुना, ग्वालियर, झाबुआ, नरसिंहपुर, राजगढ़ एवं सागर की प्रगति निम्न है। समस्त जिलों को निर्देशित किया गया कि आवास साफ्ट में पूर्ण प्रतिवेदित समस्त आवासों की नरेगा साफ्ट में शीघ्र मस्टर रोल जारी कर सीसी जारी करें।

5.7 वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के नरेगा साफ्ट में अप्रारंभ दर्शित आवासों का परीक्षण कर निर्देश जारी करें।

5.8 सामग्री भुगतान की समीक्षा में जिला शिवपुरी, झाबुआ, दमोह, धार एवं बालाघाट में अधिक संख्या के प्रकरण भुगतान का शेष पाए गये। जिलों को निर्देशित किया गया है कि लंबित सामग्री भुगतान का एफटीओ शीघ्र जारी करें। जहॉ सामग्री मजदूरी अनुपात प्रतिकूल है, मजदूरी इंटेन्सिव कार्यो की संख्या बढ़ाकर 60:40 का अनुपात सुनिश्चित करें।

5.9 Rejected Transaction के Regeneration के संबंध में समस्त जिलों को यह निर्देशित किया गया है कि आगामी माह में 01 में वित्तीय वर्ष के 2016–17 Rejected Transation को Reprocess कर शून्य करें साथ ही वित्तीय वर्ष के 2017–18 Rejected Transaction को आगामी 02 माह में शून्य करें। प्रगति की समीक्षा प्रत्येक 15 दिवस के अंतराल से व्हीसी में की जायेगी।

5.10 प्रधामंत्री आवास के किश्तों के अनुपात में मस्टर रोल जारी करने का निर्देश आयुकत मनरेगा द्वारा दिया जायेगा।

5.11 जिला स्तर पर नरेगा के अमले का स्थान परिवर्तन हेतु अद्यतन दिशा–निर्देश आयुक्त, मनरेगा द्वारा जारी किया जायेगा।

5.12 उपयंत्री सहायक यंत्री के प्रशासनिक नियंत्रण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आयुक्त, मनरेगा, प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा निर्देश जारी करेंगे।

6. पंचायत राज संचालनालय–

6.1 डीआरडीए प्रथम किश्त के प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2018–19 भारत सरकार को भेजने हेतु समस्त जिला पंचायतों से जिला पंचायतों से चाहे गये थे जो आज तक जिलों से प्राप्त नहीं हुये हैं। समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायतों को प्रस्ताव निर्धारित नवीन प्रारूप में दिनांक 15 अगस्त 2018 तक अनिवार्यता भेजने के निर्देश दिए गये।

6.2 पंचायतराज संचालनालय द्वारा स्वीकृत 1165 सामुदायिक भवन एवं 1177 ग्राम पंचायत भवनों की प्रगति की जानकारी जिलों से प्राप्त नहीं हो रही हैं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायतों

को प्रगति की जानकारी एवं द्वितीय किश्त के जिलों के एकजायी प्रस्ताव शीघ्र भेजे एवं जिन सामुदायिक भवनों के निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है उनको ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जारी किये गये ले–आउट अनुसार ही कार्य किया जाये।

6.3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सागर द्वारा डीआरडीए के कर्मचारियों के ईपीएफ राशि के भुगतान न होने के संबंध में बताया गया। इस संबंध में जिला पंचायत सागर के लेखाधिकारी, श्री चौबे से दूरभाष पर चर्चा की गई उनके द्वारा बताया गया कि यदि पूरक खाते पर इंटरनेट बैंकिग की सुविधा ले ली जाती है तो ईपीएफ राशि का भुगतान किया जा सकता है। पंचायतराज संचालनालय द्वारा पूरक खाते पर इंटरनेट बैकिंग की सुविधा लिये जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है ऐसी स्थिति में जिला पंचायत सागर पूरक खाते पर इंटरनेट बैंकिग की सुविधा लेकर कर्मचारियों को ईपीएफ राशि का भुगतान कर सकती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा उठाए गए मुद्दे:–

जिला	मुद्दे	कार्यवाही
अनूपपुर	आईईसी अंतर्गत निगरानी समिति के सदस्यों को भी ओडीएफ सम्मेलन में पुरूस्कार स्वरूप रू. 500 प्रति सदस्य के मान से राशि का आबंटन उपलब्ध कराया जाये।	अवगत कराया गया कि ओडीएफ सम्मेलन में सदस्यों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए जाते हैं नगद राशि दिए जाने का प्रावधान नहीं है। प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा।
बैतूल	मॉडल शौचालयों का निर्माण हो चुका परन्तु भुगतान नहीं हो रहा है।	राशि शीघ्र उपलब्ध कराई जावेगी। (कार्यवाही राज्य समन्वयक एसबीएम)
इंदौर	स्वच्छ भारत मिशन–एसएलडब्ल्यूएम अंतर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट पर व्यय की अनुमति चाही गई।	कार्यवाही राज्य समन्वयक एसबीएम द्वारा।
दमोह	स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 37 ग्राम पंचायतों के हितग्राही वास्तविक रूप से पात्र हैं परन्तु उनकी संख्या पोर्टल पर नहीं दिख रही है। गांव के नाम के आगे शून्य प्रदर्शित हो रहा है।	कार्यवाही राज्य समन्वयक एसबीएम द्वारा।
इंदौर	डीआरडीए कर्मचारियों को 7वां वेतनमान दिया जावेगा अथवा नही	अवगत कराया गया कि संबंधित प्रकरण वित्त विभाग में लंबित है।
जबलपुर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु आकस्मिक व्यय हेतु आबंटन की आवश्यकता।	निर्देशित किया गया कि पंचायत निधि से अग्रिम के रूप में वेतन भत्तों का भुगतान कर दिया जाये। आबंटन प्राप्त होने पर उसका समायोजन कर लिया जावे।
सीधी	जिला पंचायत के मूल कर्मचारियों (भृत्य) माह अप्रैल से वेतन आहरण में कठिनाई आ रही है।	संचालक, पंचायतराज को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
कटनी	इंदिरा आवास योजना की किश्तें प्राप्त नही हो रही हैं।	कार्यवाही संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा
सिंगरौली	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का अमला कार्यपालन यंत्री आदि जिला पंचायत में शिफ्ट किया जाये।	निर्देशित किया गया कि यदि पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो तो शिफ्टिंग की कार्यवाही की जाये।

बच्चों का विकास – खेल मैदान

बच्चों के बेहतर विकास के लिये बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास का होना आवश्यक है। इसी विकास को सुदृढ़ करने के लिए पंचायतराज एवं ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा स्कीम के अंतर्गत बच्चों के शारीरिक विकास का ध्यान रखते हुये बुंदेलखण्ड के जनपद पंचायत राजनगर अंतर्गत सेवड़ी ग्राम मे खेल मैदान का निर्माण कार्य लगभग 14.95 लाख राशि की लागत से कराया गया इस ग्राम मे लगभग 600 परिवार निवास करते है। जिसमे लगभग 4523 मे कुल आवादी अंतर्गत 2239 मतदाता है इस ग्राम मे 03 विद्यालय संचालित किये जा रहे है।

पूर्व मे 03 विद्यालय होने के बावजूद भी एक भी खेल मैदान किसी भी विद्यालय मे नहीं था जिससे बच्चों के खेलने के लिये, अभ्यास करने के लिये एवं शारीरिक विकास के लिये कोई भी ऐसा स्थान गॉव मे उपलब्ध नहीं था। जिससे बच्चों के विकास के लिये बाधा उत्पन्न होती थी और बच्चें सड़कों मे य खेतों मे खेला करते थे। एक दिन ग्राम सभा मे बच्चों के शारीरिक विकास के लिये बात की गयी तब सभी लोगों की सहमति से सरपंच महोदय श्री पंकज नायक एवं रोजगार सहायक श्री बारेलाल प्रजापति के समक्ष गॉव की महिला एवं पुरूष द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि बच्चों के लियें खेल मैदान होना चाहियें ताकि वे स्वतंत्र होकर खेल एवं शारीरिक विकास कर सकें। तभी यह प्रस्ताव सभी के सहमति द्वारा प्रस्तावित किया गया। मनरेगा स्कीम द्वारा खेल मैदान का निर्माण कार्य कराया गया जिससे शासकीय माध्यमिक विद्यालय मे लगभग 150 बच्चें इस विद्यालय मे पंजीकृत एवं अध्यनरत् है जो खेल के पीरियड एवं अन्य समय मे खेलते है और अपना शारीरिक अभ्यास करते है।

ऐसे ही आशा है कि सभी बच्चों के विकास के लियें सभी ग्रामों मे खेल मैदान का होना आवश्यक है क्योंकि कहा जाता है कि बच्चें देश का भविष्य है और इस भविष्य को विकास की जरूरत है इस भविष्य को धागों मे पिरोंने के लिये प्रयास कर रही है। ऐसे ही बहुत सी योजनाऐं इस इस विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है जो हितग्राहियों के द्वारा इसका लाभ लेकर लाभांन्वित हो रहे है। इसी आशा के साथ एक और योजना से प्रयास गॉव के विकास के लिये जारी रहेंगे।

लवली पंकज नायक
संकाय सदस्य

जनभागीदारी से करारोपण का अनूठा उदाहरण ग्राम पंचायत गुनौर

जिला पन्ना का ग्राम पंचायत गुनौर जो आज अपने आय से निरंतर विकास की गति को आयाम दे रहा है। इस पंचायत के सरपंच, सचिव एवं अन्य पंचो ने मिलकर ग्राम के सड़क के किनारे कम से कम 100 दुकाने बनाकर उसे किराऐ से देकर अपनी आमदानी का स्त्रोंत बढ़ाया वही दूसरी ओर गुनौर ग्राम पंचायत मे लगभग 7000 आवादी वाला ग्राम है उसमे तालाब मे सिंगाड़ा उत्पादन करके ही आमदानी बढ़ाई जा रही है पूरे गॉव मे जल कर एवं प्रकाश कर की वसूली कर लगाया गया है अन्य बाजार ठेके मे दिया जाता है।

73 वे संविधान संशोधन से ग्राम स्तर तक लोकतांत्रिक पद्वति से प्रिय स्तरीय पंचायतराज को संविधानिक रूप देकर शक्ति संम्पन्न बनाया गया। जिसके तहत पंचायत को राज्य का दर्ज प्रदान किया गया इस हेतु उसे अपनी आमदानी के स्त्रोंतो को बढ़ाने के लिये कर लगाने के अधिकार पंचायतराज अधिनियम मे धारा 77 के तहत प्रदान किये गये इसी का उदाहरण है

इस तरह इस पंचायत मे लगभग 15 लाख रूपये वार्षिक से ज्यादा आमदानी है यह संभव हुआ पंचायतराज को दिये संविधानिक करारोपड़ के अधिकार के कारण एवं पंचायतराज के प्रतिनिधि पंच, सरपंच एव जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के आपसी सामंजस्य एवं द्रण इच्छा शक्ति के कारण तथा ग्रामसभा एवं जन सहभागिता के कारण।

गुनौर ग्राम पंचायत मे सभी व्यवस्थाऐं आज अपनी आमदानी से हो रही है यहा तक की ग्राम पंचायत का अपना रेस्ट हाउस है ग्राम पंचायत मे टेलीफोन एवं अच्छी कार्यालयीन व्यवस्था देखते ही बनती है इंटर स्कूल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिऐ आवास एवं शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य चिकित्सालय आदि की समुचित व्यवस्था है ग्राम पंचायत अपनी आमदानी से सुद्रढ़ कर रही है

यह सफलता की कहानी यह कहती है

अपना विकास आप करायें । जन जन मे यह भाव जगाये।
हाथ है अपने अपनी डोर। ले जा इसे चाहे जिस ओर।
शासन स्त्रोंत व जनसहयोग । पंचायत आयकर, कर लो योग।
जोड़ी यह सब विधि। कहलायी ग्रामसभा/ पंचायत निधि।
उत्साह जगा कर फीस लगा । विश्वास दिला न देगा दगा ।
देखना गॉव के जन–जन खुद खड़े होंगे । प्रयास तुम नहीं वो खुद करेंगे।

राजेन्द्र प्रसाद खरे,
संकाय सदस्य

असंगठित मजदूर कल्याण योजना

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के हर जिले में असंगठित गरीब मजदूरों के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन उन गरीब मजदूर परिवारों के लिए था, जो सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। इस योजना से राज्य के गरीब श्रमिकों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जावेगा।

असंगठित गरीब श्रमिक कौन हैं?

खेतों में मजदूरी करने वाले, गृहकर्मी, स्ट्रीट हॉकर्स, मछली पकड़ने वाले श्रमिक, पत्थर तोड़ने वाले, स्थायी ईंट निर्माता, दुकानदार, गोदामों, परिवहन, हथकरघा, बिजली के सामान, डाइंग–प्रिंटिंग, सिलाई–बुनाई–कढ़ाई, लकड़ी के सामान, चमड़े के सामान और जूते बनाने वाले और पटाखे बनाने वाले,ऑटो रिक्शा चालकों,आटा,तेल,दालों,चावल और पोहा मिलों, लकड़ी के मजदूर, बर्तन, कारीगरों, चौकीदार, सुतार और मजदूर असंगठित कार्यकर्ता वर्ग में आते हैं।

मध्यप्रदेश असंगठित मजदूर कल्याण योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के असंगठित गरीब मजदूरों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन, निशुल्क उपचार, बच्चों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त प्रशिक्षण आदि जैसी इन योजनाओं के लाभ के लिए राज्य के गरीब मजदूरों को अपना पंजीकरण अनिवार्य होगा।

जब मध्य प्रदेश असंगठित मजदूर कल्याण योजना शुरू होगी?

असंगठित गरीब श्रमिक परिवारों को इन योजनाओं के लाभ प्रदान करने के लिए, 1 अप्रैल से 15 मई तक सरकार द्वारा एक व्यापक अभियान शुरू किया गया था । जिसके तहत राज्य के सभी गरीब श्रमिकों को अपना पंजीकृत करना होगा। इसके बाद सभी श्रमिकों को पट्टे पर, घर, मुफ्त उपचार, बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त प्रशिक्षण, मुफ्त गैस कनेक्शन आदि दिए जाएंगे। इसके अलावा सभी कर्मचारियों के लिए मृत्यु होने पर सहायता की जाएगी।

मध्यप्रदेश असंगठित मजदूर कल्याण योजना के लाभ

- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक किफायती घर का लाभ
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन
- निशुल्क चिकित्सा उपचार
- बच्चों को मुफ्त शिक्षा
- निशुल्क प्रशिक्षण
- मृत्यु में राहत सहायता

पात्रता मापदंड

- आवेदक एक श्रमिक होना चाहिए।
- श्रम किसी भी प्रकार की सरकार या अनुबंध सेवा में नहीं होना चाहिए।
- करदाता नहीं होना चाहिए।
- कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।

मध्यप्रदेश असंगठित मजदूर कल्याण योजना पंजीकरण प्रक्रिया

राज्य की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, गरीब श्रमिकों को अपना पंजीकृत करना होगा, जिसके लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी श्रमिक और मजदूर www-shramsewa-mp-gov-पद पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद श्रमिकों को एक पंजीकरण कार्ड भी प्रदान किया जाएगा।

सभी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए, हर 2–3 ग्राम पंचायतों में श्रम पंजीकरण शिविर लगाए गये थे। शहरी प्रशासन और विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और शहरी श्रमिकों के रजिस्ट्रार के लिए नोडल विभाग होंगे।

उर्मिला पंवार
संकाय सदस्य

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण और रोजगार सृजन

गरीबो के सिर छिपाने को छत उपलब्ध कराना भारत के लिये हमेशा एक चुनौती रहा है और ग्रामीण इलाको में तो यह समस्या और भी विकराल रुप ले लेती है। पिछली सरकारों ने बीते वर्षो में इस समस्या के समाधान के लिये विभिन्न आवास योजनाएं प्रारंभ की हैं। वर्तमान सरकार ने ''2022 तक सबके लिए आवास'' (2015–2022) के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) का पुर्नगठन कर भारत की स्वतंत्रता की 75 वे वर्शगांठ पर वर्श 2015 में इसे प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) का नाम दिया, इस बात की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के संयुक्त सत्र दिनांक 9 जून 2014 को की थी। इसका उददेश्य इंदिरा आवास योजना पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के निश्पादन ऑडिट की रिपोर्ट (सीएजी 2014) में बताई गई कमियों को दूर करना तथा 'कुछ ग्रामीण विकास योजनाओं के अंर्तगत खर्च न की जा सकी राशियों तथा पूंजी के प्रवाह' पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। गांवो के गरीबो के लिये यह दुनिया का सबसे बडा कार्यक्रम है जिसका उददेश्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के समन्वय से 2022 तक ऐसे पक्के मकान उपलब्ध कराना है जिसमें नलों के जरिए स्वच्छ पेयजल तथा बिजली और रसोईगैस कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने श्रेश्ठ गुणवत्ता वाले आवास उपलब्ध कराने के बारे में ''पहल'' नाम से सामान्य दिशानिर्देश और मकानों के डिजाईन

जारी किये है। इसके पहले चरण में 31 मार्च 2019 तक एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिये लाभार्थियों का चयन सामाजिक – आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी) 2011 के जरिये किया जा रहा है। लाभार्थियों को मैदानी क्षेत्रो में 1.20 लाख रुपये और पहाडी, दुर्गम एवं समन्वित कार्य योजना वाले इलाको में 1.30 लाख रुपये प्रति इकाई की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। निर्माण का खर्च भारत सरकार और राज्य सरकारें सामान्य श्रेणी के राज्यों में 60:40 के अनुपात में और विशेष श्रेणी के राज्यों तथा समन्वित कार्ययोजना (आईएपी) जिलों के मामले में 90:10 के अनुपात में होता है। इस योजना में धन का अंतरण राज्य स्तर पर बनाये गए एकल नोडल खाते से डिजिटल तरीके से सीधे लाभार्थी के खाते में किया जाता है। इकाई सहायता के अलावा उन्हें 70 हजार रुपये तक का संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने का विकल्प दिया गया है। लाभार्थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 90 से 95 दिन तक का रोजगार प्राप्त करने के भी पात्र है। इसके अलावा उन्हें स्वच्छ भारत मिशन के अर्न्तगत शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये भी दिये जाते है। इन फायदो के के अलावा लाभार्थियों को मददगाार सेवाओं जैसे – राजमिस्त्री के काम का प्रशिक्षण, मकानों के गुणवत्ता के लिए प्रमाण–पत्र, निर्माण सामग्री की उचित स्रोत से प्राप्ति, बुजुर्ग और दिव्यांग लाभार्थियों को मकान बनाने में मदद, मकान के डिजाईन आदि की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। प्रधानमंत्री आवास

योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) का प्रबंधन 'आवाससॉफ्ट' साफ्टवेयर में किया जाता है।

''पहल'' से प्रत्यक्ष रोजगार –

पहल के तहत 100 से ज्यादा डिजाईन उपलब्ध कराए गए है और इन डिजाइनों के आधार पर प्रत्येक घटक के लिए लागत का मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है। इसी के अनुसार मध्यप्रदेश में भी 10 प्रकार के आवास की डिजाईन तैयार की है, जिसके अनुसार प्रदेश में आवास का निर्माण किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार किये जाने वाले प्रत्येक आवास में औसतन 120 दिवस की मजदूरी लगती है। जिसके दौरान 1 आवास तैयार होता है। देश में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के पुर्ननवीकरण के पश्चात् आजतक भारत में 44.54 लाख आवास बनकर तैयार हुए है जिसमें कुल 5344.8 लाख दिवस का रोजगार प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश में 6,90,992 आवास बनकर तैयार हुए जिसमें 8,29,19,040 दिवस का रोजगार प्राप्त हुआ है। इस प्रकार देश के ग्रामीण क्षेत्रो में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण से रोजगार का सृजन हो रहा है।

इस योजना के दूसरे पक्ष पर ध्यानाकर्षण करने से ज्ञात होता है कि इस योजना के तहत बनाये जाने वाले आवासों में आवास निर्माण के साथ–साथ अच्छी गुणवत्ता के निर्माण कार्यो के लिए 45 दिवसीय ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण भी प्रारंभ है। इन प्रशिक्षित राजमिस्त्रीयों का केन्द्र सरकार के कौ ाल विकास विभाग की प्रमाणित संस्था कन्सट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया (CSDCI) नई दिल्ली, द्वारा परीक्षा लेकर प्रमाणन किया जाता है, जिसमें 11049 राजमिस्त्री आज तक दक्ष हो चुके है।

इस योजना में कौशल विकास की शिक्षा प्राप्त करके वाले ग्रामीण राजमिस्त्री, राजगीरी कार्य में दक्ष होने के पश्चात् उसके आगे के कौशल में विशेषज्ञ होकर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते है। जिसमें नल फिटिंग का कार्य (Plumbing), सेन्ट्रीग कार्य, सरिया मोड़ना एवं लगाना (Barbending & Fixing), भाटरिंग कार्य एवं मचान/पाड लगाना (Suttering & Scapffolding), पेन्टिग, आंतरिक एवं बाह्य साज सज्जा (Interior and Exterior Finished), विद्युत फिटिंग आदि कार्यो में पारंगत होकर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते है।

इस सभी कार्यो के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय के अभिनव पहल पर कौशल पंजी तैयार की गई है जिसमें 18 से 35 आयु के प्रतिभागी अपना पंजीयन कर शासन द्वारा संचालित उपरोक्त कार्यो के लिए तकनीकी मार्गदर्शन/प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार प्रारंभ कर सकते है।

शासन द्वारा इन लघु प्रतिष्ठानों/कार्यो को प्रारंभ करने के लिए 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना MUDRA (Micro Unit Development and Refinance Agency) प्रारंभ की गई है जिससे शिशु, किशोर एवं तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण दिया जाता है।

इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होकर ग्रामीण युवा रोजगार प्राप्त कर स्वरोजगारी/उद्यमी बन सकते है।

त्रिलोचन सिंह
संकाय सदस्य

पंचायतराज संस्थाओं – स्वसहायता समूहों का अभिसरण (कनवरजेंस)

जीपीडीपी और अभिसरण (कनवरजेंस)

हमारे संविधान में पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाऐं तैयार करने का दायित्व दिया गया है। मध्यप्रदेश में पंचायतराज अधिनियम में भी पंचायतों को योजना बनाने और उनके क्रियान्वयन के लिए प्रावधान किये गये हैं। प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा ''ग्राम पंचायत विकास योजना – जी.पी.डी.पी. तैयार की जाती है।

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में अगर ग्राम पंचायतें और स्व–सहायता समूह और उनके संगठनों की सहभागिता मिल जावे तो योजना अधिक व्यवहारिक बने सकती है। इसके लिए ग्राम पंचायतों और स्व–सहायता समूहों के बीच सतत संपर्क और संवाद होना आवश्यक होगा। स्वसहायता समूहों और पंचायतराज संस्थाओं के बीच जीवंत संबंध विकसित किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने के लिए पंचायतों एवं सामुदायिक संगठनों के अभिसरण से ग्राम स्तर की आवश्यकताओं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रणनीति बनने के लिए इस विषय की जानकारी होना जरूरी होगा। इसके लिए यह भी आवश्यक होगा कि ग्राम पंचायत स्तर पर अभिसरण विषय पर वैचारिक समझ एवं इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए दृष्टिकोण स्पष्ट हो।

पंचायतराज संस्थाएं एवं सामुदायिक संगठन

पंचायतराज व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी पर विचार–विमर्श किया जाना चाहिए। हमारा संविधान पंचायतराज संस्थाओं को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय का उत्तरदायित्व देता है। पंचायतों को सामुदायिक संगठनों के साथ मिल कर इन दायित्वों को पूरा करना है। स्वसहायता समूह ऐसे लोगों का संगठन है जो गरीबी से संघर्ष करने के लिए एकजुट हुए हैं।

स्वसहायता सूमहों को सहयोग देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ''दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) तथा प्रदेश के स्तर पर '' मध्यप्रदेश दीनदयाल अन्त्योदय योजना ग्रामीण आजीविका मिशन (MPDAY-NRLM) कियान्वित किया जा रहा है। स्वसहायता समूहों के गठन, संचालन, ग्राम एवं इससे ऊपर के स्तर के संगठनों का गठन एवं उनके कियान्वयन में आजीविका मिशन द्वारा सहयोग दिया जा रहा है।

समूहों एवं संगठनों को रिवाल्विंग फंड (आर. एफ), सामुदायिक निवेश निधि (सी.आई.एफ), आपदा कोष (वी.आर.एफ) आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाता हैं। समूह के बीच में से ही सामुदायिक स्त्रोत व्यक्ति (सी.आर.पी.) का चयन किया जाता है तथा उनकी क्षमतावर्धन के प्रयास किया जाते हैं। इन गतिविधियों में पंचायतराज प्रतिनिधियों द्वारा स्व–सहायता समूहों एवं उनके संगठनों को मदद की जा सकती है।

वे लोग जो जरूरतमंद हैं, कमजोर हैं उन्हें सक्षम करने के लिए पंचायतराज प्रतिनिधि और सामुदायिक संगठन दोनो मिल संयुक्त तरीके से कार्य करें। लोगों के द्वारा किये जाने वाले दावों, उनके अधिकारों, उनके हकों को दिलाने में मदद करें। जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है उन्हें न्याय दिलाने में मदद करें।

ग्राम विकास एवं सामुदायिक संगठन

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक संगठनों और ग्राम विकास में उनकी की भूमिका पर चर्चा की जावे। ग्रामीण क्षेत्र में हमें विभिन्न प्रकार के छोटे–छोटे सामुदायिक संगठन देखने मिलते हैं। इस प्रकार के संगठनों को लोगों द्वारा अपने संगठन के सदस्यों के लिए किन्हीं कारणों, लक्ष्यों, उद्देश्यों, लाभों के लिए बनाया जाता है। इन संगठनों की जबावदेही समुदाय के प्रति कम अपने सदस्यों के लिए अधिक होती है। आईये हम जानते हैं कुछ ग्रामीण क्षेत्र में गठित सामुदयिक संगठनों के बारे में।

स्वसहायता समूह एवं आजीविका मिशन से जुड़े महिलाओं के समूह में निर्धारित संख्या में सदस्य मिल कर समूह बनाते हैं। वे अपनी बैठकों में निर्णय लेते हैं। बचत राशि इकट्ठी करते हैं। बचत राशि और बाहरी राशि से अपनी आर्थिक गतिविधियां चलाते हैं। वे सामाजिक बुराईयों के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। अब तो ग्राम स्तर पर गठित समूहों द्वारा ग्राम संगठन, ग्रामों के समूहों के स्तर पर बने समूहों द्वारा संकुल स्तर का संगठन भी बनाया जाने लगा है।

ग्राम व संकुल स्तरीय संगठन द्वारा अपने उद्देश्यों को पाने के लिए लगातार प्रयास किये जाने के अनेक उदाहरण हमें देखने व सुनने को मिलते हैं। स्वसहायता समूहों एवं उनके संगठनों द्वारा समुदाय, ग्राम पंचायत एवं अन्य विकास के संगठनों के बीच मध्य की कड़ी की भूमिका का निवर्हन किया जा सकता है। समूहों के सदस्यों के ज्ञान व नेतृत्व क्षमता का उपयोग समूह की गतिविधियों को बढ़ाने व ग्राम विकास, सामाजिक न्याय के लिए किया जा सकता है।

जनउपयोगी परिसंपत्तियों के संचालन और उनके रखरखाव के लिए विभिन्न *उपयोगकर्त्ता समूह* बनाये जाते हैं। जैसे पेयजल व्यवस्था, वाटरशेड, सामुदायिक शौचालय आदि का संचालन और रखाव इनके द्वारा किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र में *युवा मण्डलों* द्वारा विभिन्न प्रकार की खेलकूल, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां, अभियानों में योगदान दिया जाता है। *महिला मण्डलों* की महिलाओं की समस्या को दूर करने, सामाजिक बुराईयों को हटाने, विकास के कार्यो को करने आदि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी प्रकार से *लाभार्थियों द्वारा कमेटी* बनाई जाती है। *संयुक्त वन प्रबंधन समूहों* अपने क्षेत्र की समस्याओं को शासन के सामने लाया जाता है। ऐसी समितियां वन उत्पाद के क्षेत्र में कार्य करती हैं।

इस प्रकार के सामुदायिक संगठनों द्वारा ग्राम विकास के लिए सकारात्मक प्रयास किये जा सकते हैं। ऐसे संगठन विकास के लिए महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अपना योगदान दे सकते हैं। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जहां रिक्तता दिखाई दे रही हो वे वहां पर अपने प्रयासों से उस रिक्तता को भरने का प्रयास कर सकते हैं।

अभिसरण के लिए पंचायतों एवं सामुदायिक संगठनों की भूमिका

पंचायतराज संस्थाओं द्वारा अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न सामुदायिक संगठनों के बीच लोगों के हकों के संबंध में जागरूकता लाने के प्रयास किये जाने चाहिए। संगठन के सदस्यों को जनता की हकदारियों को पूरा करने के लिए विभिन्न लाईन डिपार्टमेंट की जानकारी दी जावे। विभिन्न शासकीय योजनाओं व कार्यक्रमों के लिए लक्षित लाभर्थियों को चिन्हित करने में सामुदायिक संगठनों के साथ पंचायतों द्वारा जुड़ कर कार्य किये जावें।

सामुदायिक संगठन ऐसे प्रयास करें जिससे ग्राम सभा में लोगों की सक्रिय भागीदारी हो। लोगों के हकों एवं अधिकारों की बात संगठनों द्वारा उठाई जावे। ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं और मुद्दों का विश्लेषण करने में सामुदयिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सामुदायिक संगठन और पंचायतराज संस्थाएं अपनी अपनी भूमिका को अच्छे से तब ही निभा पायेगें और एक दूसरे से जुड़ कर अच्छा कार्य कर पायेगें जब कि, वे एक दूसरे का सम्मान करें। दोनों को एक दूसरे के कार्यक्रमों के उद्दश्यों, कियान्वयन प्रक्रिया, दायित्वों, कर्त्तव्यों की जानकारी हो।

अभिसरण के क्षेत्र

ग्राम पंचायत सामाजिक सशक्तीकरण, संस्थागत विकास, ग्राम सभा में गरीबों की सहभागिता से पहचान, समस्याओं और संसाधनों की पहचान, स्वसहायता समूहों एवं उनके संगठनों की वार्षिक कार्ययोजना को साझा करना। विभिन्न विभागों एवं एजेन्सियों से समन्वय, एसएचजी नेटवर्क का उपयोग करना, स्वसहायता समूह एवं उनके संगठनों द्वारा अपने सदस्यों को ग्राम सभा में उपस्थित होने व अपनी बात रखने के लिए जागरूक किया जाना। योजना बनाने की प्रक्रिया में सक्रिय योगदान देना आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां पंचायतों एवं सामुदायिक संगठनों के मध्य अभिसरण किया जा सकता है। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को सहभागिता से तैयार किया जावे।

गरीबी से मुक्त ग्राम पंचायत बनाने की दिशा में गरीबी दूर के लिए समेकित योजना बनाने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत विकास योजना में

स्वसहायता समूहों को जोड़ा जा सकता है। समूह के सदस्यों से गरीबी और आजीविका के संबंध में एसईसीसी डाटा और पारटीसिपेटरी असेसमेंट पर चर्चा की जा सकती है। ग्राम पंचायत स्तर पर गरीबी की प्रोफाईल तैयार करके गरीबी के मुख्य कारणों और उनके समाधानों के सूचक बनाये जा सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करके उन्हें जीपीडीपी में सम्मिलित किया जा सकता है।

विभिन्न एजेन्सियों की अभिसरण में भूमिका

पंचायतराज संस्थाओं और सामुदायिक संगठनों के अभिसरण में विभिन्न एजेंसियों की भूमिका है। इस एजेंसियों में मोटे तौर पर ग्राम पंचायत, स्वसहायता समूह, राज्य शासन, आजीविका मिशन

प्रमुख हैं। हम यहां पर ग्राम पंचायतों और स्वसहायता समूहों की भूमिका की चर्चा कर रहे हैं।

ग्राम पंचायतों की अभिसरण में भूमिका

- स्वसहायता समूहों और उनके संगठनों की गरीबों की पहचान करने में सहभागिता, सामाजिक सशक्तीकरण, संस्थागत विकास करना।
- ग्राम सभा की बैठक के पहले स्वसहायता समूहों के बीच आवश्यकताओं एवं उनकी प्राथमिकताओं पर चर्चा करना।
- गरीबी दूर करने के लिए स्थानीय स्तर की योजना तैयार करना।
- स्वसहायता समूहों द्वारा बताई गई आवश्यकताओं को गरीबी से मुक्ति योजना के रूप में जीपीडीपी प्लान में सम्मिलित करना।
- मनरेगा अन्तर्गत कार्य की मांग करने वाले श्रमिकों की पहचान करना।
- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, करों की वसूली, कचरा प्रबंधन, पेयजल, ई–सर्विस आदि सेवाओं का प्रदाय करना।
- स्व–सहायता समूहों एवं उनके संगठनों के कार्यालय संचालन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर स्थान मुहैया करना इत्यादि।

स्वसहायता समूहों की अभिसरण में भूमिका

- सामाजिक सशक्तीकरण के लिए ग्राम पंचायत को सहयोग देना।
- ग्राम सभा में सक्रिय भागीदारी करना।
- सामुदायिक, सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से सेवाओं के प्रदान करने वाली गतिविधियों में भागीदारी करना।
- विभिन्न मूल्याकंन गतिविधियों में सहयोग एवं भागीदारी देना।
- जानकारियों को समूह के सदस्यों तक पहुँचाना।

- ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, पंचायत के महत्वपूर्ण विषयों पर समूह में चर्चा करना तथा सहयोग देना आदि।

अभिसरण से गरीबी दूर करने के प्रयास

- ग्रामीणजनों की सहभागिता से गरीबी दूर करने के प्रयास ज्यादा प्रभावी होगें। ग्रामवासियों की योजना बनाने और मूल्याकंन करने में भागीदारी ली जानी चाहिए। सहभागी पद्धति से मूल्याकंन करने और योजना बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाई जाती हैं।
- ग्राम स्तर पर विभिन्न हकों, योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से *Patricipatory Assessment of Entitlement "PAE* गतिविधि स्वसहायता समूह स्तर पर की जाती है। जिसमें ग्रामवासियों के लिए कियान्वियक की जा रही योजनाओं में उनके लिए निश्चित किये जो हकों को बताया जाता है। ग्राम सभा के प्रति लोगों में संवेदशीलता बढ़ाने के प्रयास किये जाते हैं। इस गतिविधि में विभिन्न प्रकार के सुसंगत आंकड़ों का संकलन किया जाता है जिनका उपयोग आगे बनाई जाने वाली योजनाओं के लिए किया जाता है।
- *Entitlement Access Plan "EAP"* गतिविधि के माध्यम से प्रत्येक ग्राम के ग्राम संगठनों द्वारा विभिन्न हकदारियों की पूर्ति में आने वाले अन्तर को असेसमेंट किया जाता है।
- *GP Level Poverty Reduction Plan* ग्राम पंचायत स्तर पर गरीबी दूर करने के लिए यह गतिविधि चलाई जाती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्वसहायता समूहों / ग्राम संगठन द्वारा यह योजना तैयार करने में सहयोग दिया जाता है।
- स्वसहायता समूह, ग्राम संगठन द्वारा आयोजित की गई उपरोक्त गतिविधियों से प्राप्त रिपोर्ट को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में समेकित रूप से सम्मिलित करने की दिशा में प्रयास किये जाने चाहिए।

अभिसरण के अपेक्षित परिणाम

स्वसहायता समूह परिवार और समुदाय के व्यक्तिगत हकदारियों की पूर्ति में बढ़ोत्तरी हो सकेगी। सामुदायिक सेवाओं, सामाजिक न्याय के क्षेत्र में और अच्छे परिणाम आवेगें। पंचायतों एवं सामुदायिक संगठनों के बीच विचारों, कार्यकलापों में भागीदारी बढ़ने से विकास की गति में तेजी आवेगी। ग्राम सभा में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि होगी। सामुदायिक रिसोर्स परसन के रूप में स्वसहायता समूहों की महिला सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी होगी इत्यादि।

सहभागिता से ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार होने से वह अधिक व्यवहारिक बन सकेगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रभावी तरीके से कियान्वित हो सकेगी जिससे ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में किये जाने वाले प्रयास सफलता की ओर अग्रसर होगें।

डॉ संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य